न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :— अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 47/2019
जीसीएमएस : 2019/00242

1. सतपाल पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी 74 एनपी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. चेतराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी 74 एनपी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. भैराराम पुत्र भीखाराम जाति नायक निवासी 73 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. उतमाराम पुत्र भीखाराम जाति नायक निवासी 73 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. शेराराम पुत्र भीखाराम जाति नायक निवासी 73 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. प्रभुराम पुत्र भीखाराम जाति नायक निवासी 73 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
5. राजूराम पुत्र भीखाराम जाति नायक निवासी 73 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
6. दाना राम पुत्र भीखाराम जाति नायक निवासी 73 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
7. गुड्डी देवी पुत्र भीखाराम जाति नायक निवासी 73 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
8. भंवरलाल पुत्र फरसाराम जाति नायक निवासी 30 एच तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
9. अशोक कुमार पुत्र लेखूराम जाति नायक 73 एनपी रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
10. कमला पत्नी लालचन्द जाति नायक निवासी मोटासर तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
11. बिदबाई पुत्र लालचन्द पत्नी धन्नाराम जाति नायक निवासी नाहरावाली तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
12. पवनकुमार पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी 74 एनपी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
13. विनोद कुमार रामस्वरूप जाति जाट निवासी 74 एनपी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
14. ममता पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी 74 एनपी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
15. अंजु पत्नी विनोद कुमार जाति जाट निवासी 74 एनपी ढाणी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

—:अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251क(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—
1. श्री गुरप्रताप सिंह, वकील प्रार्थीगण
2. श्री अशोक कुमार नायक, वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 4, 9
3. श्री अशोक धायल, वकील अप्रार्थी सं. 12 ता 15

दिनांक : 02.09.2021

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण को उनकी कृषि भूमि चक 74 एनपी प.नं. 265/333 मु.नं. 46 के कि.नं. 1 से 14/1 एवं 14/2 से 25 में पहुचने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थी सं. 1 ता 7 की भूमि चक 73 एनपी प.नं. 266/336 मु.नं. 31 के कि.नं. 5-6, अप्रार्थी सं. 8 ता 11 की भूमि मु.नं. 31 प.नं. 266/336 कि.नं. 15–16 व अप्रार्थी सं. 12 ता 15 की भूमि चक 74 एनपी के प.नं. 266/334 मु.नं. 58 के कि.नं. 5–6–15–16–25 व प.नं. 266/335 मु.नं. 64 के कि.नं. 5–6–15–16–25 प्रत्येक में दो दो बिस्वा यानि 0.025–0.025है. कुल 0.350है. पूर्वी पासा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4,9 एवं 12 ता 15 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आए। अप्रार्थी सं. 5 ता 8, 10 व 11 के विरूद्ध दिनांक 05.11.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। [illegible] अप्रार्थी सं. 1 ता 4, 9 दिनांक 02.03.2020 को बंद [illegible] स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। तथा अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 12 ता 15 ने प्रा. पत्र [illegible] किया। दिनांक 02.02.2021 को जवाब अप्रार्थी सं. 12 ता 15 बंद [illegible]। मुताबिक रिपोर्ट

तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका [illegible] 2021 के अनुसार मुख्य सड़क तहसीलदार रायसिंहनगर क्रमांक/राजस्व/2[illegible] एनपी प.नं. 266/[illegible] मु.नं. 31 कि.नं. 5–6–15[illegible] रायसिंहनगर से अनूपगढ के चिपता चक 73 एनपी मु.नं. 58 व 64 के कि.नं. 5–6[illegible]–16–25 प्रत्येक में 0.025है[illegible] आवागमन हेतु तथा चक 74 एनपी मु.नं. 58 व 64 के कि.नं. 5–6[illegible]–16–25 प्रत्येक में 0.025है[illegible] उक्त अस्थाई रास्ता के लगभग 30–40 वर्षों से आगे की ढाणियों में आने जाने हेतु एकमात्र रास्ता हैं। उक्त अस्थाई रास्ता के

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.12.01 17:45:38 IST
Reason: SelfAttested

अलावा अन्य कोई नजदीकी चालू व स्वीकृत रास्ता नहीं हैं। मौके पर उक्त रास्ता चालू है। नियमानुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित हैं।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील उभयपक्ष ने अपनी बहस में प्रार्थीगण द्वारा वांछित मार्ग को स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण में किसी भी पक्षकार द्वारा रास्ता स्वीकृत करने पर कोई एतराज व्यक्त नहीं किया हैं। तथा तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी वांछित मार्ग 30–40 वर्षो से व मौका पर चालू होना अंकित किया है। तथा रिपोर्ट में यह भी दर्शाया हैं कि प्रार्थीगण के पास उक्त मार्ग के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। यही एकमात्र मार्ग हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकृत किया जाकर चक 73 एनपी प.नं. 266/336 मु.नं. 31 के कि.नं. 5–6–15–16 एवं चक 74 एनपी के 58 व 64 के कि.नं. 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.025–0.025है. गैर.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को रास्ते में आई भूमि की एवज में मुआवजा के तौर पर रास्ता में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि अदा करेंगे। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थीगण से मुआवजा राशि जमा करवाकर अप्राथीगण को उनके हिस्सा अनुसार भुगतान करें तथा प्रार्थीगण द्वारा राशि जमा करवा दिया जाने के पश्चात उक्तानुसार स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। प्रकरण में प्रार्थीगण यह तथ्य लेकर आए हैं कि चक 73 एनपी के प.नं. 266/336 मु.नं. 31 के कि.नं. 1 ता 13/1 की कुल 3.162है. नहरी भूमि भीखाराम पुत्र नानूराम के नाम से दर्ज रिकार्ड हैं। भीखाराम का देहान्त हो चुका हैं। अप्रार्थी सं. 1 ता 7 उनके जायज वारिसान हैं। जिसकी पुष्टि रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा की गयी है कि भूमि भीखाराम के नाम से दर्ज हैं। अतः चक 73 एनपी मु.नं. 31 कि.नं. 5–6 की रास्ता में आई भूमि की मुआवजा राशि राजस्व रिकार्ड में जरिए विरास्तन अथवा अन्य प्रकार से परिवर्तन हो जाने के पश्चात खातेदारान को भुगतान की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 01.12.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.12.01 17:45:38 IST
Reason: SelfAttested

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर